

(प्रपत्र-43)

परियोजना का नाम:-

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर-काण्डोई-मदर्सू मार्ग का नव निर्माण हेतु 1.610 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0-210/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत भलेर-काण्डोई-मदर्सू मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.6100 हे0 वन भूमि लो0नि0वि0 को हस्तान्तरित होनी प्रस्तावित है। प्रत्यावर्तित होने वाली 1.610 हे0 वन भूमि के बदले दुगनी अवनत भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व विभाग द्वारा ग्राम-गुठाडखत बौन्दूर तहसील चकराता जिला-देहरादून के खसरा सं0-2007 क्षेत्रफल-68.860 हे0 में से क्षेत्र 3.220 हे0 भूमि चयनित की गई है। जिसका वन विभाग, राजस्व विभाग एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा दिनांक-20.07.2024 में संयुक्त निरीक्षण किया गया है। यह क्षेत्र रिखनाड रेंज चकराता, वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत आता है। चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त पाया गया है।

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून

अधिशोषी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
रिखनाड रेंज,
नाडा

उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग,

प्रभागीय वनाधिकारी
चकराता वन प्रभाग,

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी उप वन प्रभाग,
कालसी

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग
कालसी

जय्या लाल शर्मा
रा0उ0नि0/थानाध्यक्ष
क्षेत्र लाखानाड
तहसील चकराता (देहरादून)